औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में नीलामी में खरीदी गई परिसम्पत्ति पर उद्यमियों को दोहरे स्टाम्प शुल्क से मिलेगी राहत

- *"जिलाधिकारियों सहित समस्त संबंधित विभागों को प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहन व सुविधा प्रदान करनी चाहिए"*
- *"उद्योगों की समस्या के निवारण से संबंधित बैठकों में पूरी तैयारी से आएं अधिकारी, प्रकरण को अनावश्यक रूप से विलम्बित करने वाले सम्बंधित अधिकारियों को चिन्हित कर किया जाएगा दण्डित"* **–मुख्य सचिव, उ.प्र., श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी**

<u>लखनऊ, 10 दिसम्बर, 2020:</u>

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कड़े निर्देश दिये हैं कि राज्य सरकार की औद्योगिक एवं निवेशोन्मुख नीतियों व नियमों के अनुसार जिलाधिकारियों सहित समस्त संबंधित विभागों द्वारा सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रदेश में निवेश व उद्योगों को प्रोत्साहन एवं सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।

मुख्य सचिव आज लोक भवन स्थित अपने कार्यालय में निवेश प्रोत्साहन तथा उद्यमियों की समस्याओं के सम्बंध में उच्च–स्तरीय अंतर्विभागीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिए कि औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में स्थापित इकाई की नीलामी में खरीदी गई परिसम्पत्तियों पर उद्यमियों से विक्रय–विलेख तथा पट्टा–विलेख, अर्थात् दो बार स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता को नियमानुसार समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि यह केवल पट्टा हस्तांतरण की प्रक्रिया होनी चाहिए तथा इस पर केवल एक बार स्टाम्प शुल्क लिया जाना चाहिए।

यह निर्देश मेसर्स ट्रिब्यूला एक्सपोर्ट्स, कानपुर द्वारा सरफेसी एक्ट–2002 (The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act) के अन्तर्गत नीलामी में दोहरे स्टाम्प शुल्क के भुगतान के प्रकरण के निवारण के संदर्भ में उ. प्र. राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) को दिए गए। उक्त निर्देश के परिणामस्वरूप समान प्रकृति के अन्य लगभग 12 प्रकरणों का भी समाधान हो जाएगा।

मेसर्स सदाहारी शक्ति प्रा. लि., फतेहपुर के पूर्व इकाई के लम्बित विद्युत बिल के प्रकरण में **मुख्य सचिव ने निर्देश दिया** कि विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत् औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में स्थित परिसम्पत्तियों पर पूर्व इकाई के देयों के लम्बित होने की दशा में नीलामी में परिसम्पत्तियों के मूल्यांकन पर विचार–विमर्श कर यथोचित व्यवस्था निर्धारित की जाए, उन्होंने निर्देशित किया कि इस सम्बंध में शासनादेश निर्गत किया जाए।

निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा से सम्बंधित बैठकों में अधिकारियों को प्रकरणों पर पूरी जानकारी न होने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए **श्री तिवारी ने कहा** कि अधिकारी बैठकों में पूरी तैयारी से आएं, किसी भी प्रकरण को अनावश्यक रूप से विलम्बित करने वाले सम्बंधित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए दण्डित किया जायेगा।

बैठक में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, ऊर्जा विभाग, आवास विभाग, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, कृषि विपणन विभाग, सहकारिता विभाग, उ.प्र. राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) के 09 प्रकरणों पर विचार–विमर्श किया गया तथा सम्बंधित विभागों को समयबद्ध रूप से त्वरित निस्तारण हेतु निर्देश दिए गए।

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त–श्री आलोक टण्डन, अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास–श्री आलोक कुमार, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा–श्री मयूर माहेश्वरी तथा विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास–सुश्री सुजाता शर्मा सहित सम्बन्धित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण बैठक में उपस्थित थे।

———————————